रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-27092021-229974 CG-DL-E-27092021-229974

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 286] No. 2861 नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 2021/आश्विन 5, 1943 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 2021/ASVINA 5, 1943

वस्त्र मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2021

विषय: वस्त्र क्षेत्र के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना।

फा. सं. 12015/03/2020-आईटी .—1. प्रस्तावना

सरकार ने एमएमएफ अपैरल,एमएमएफ फैब्रिक्स तथा तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के संवर्धन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाको अनुमोदित किया है। यह योजना इस अधिसूचना की तारीख से लागू होगी। 10,683 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2028-29 की अवधि के दौरान प्राप्त किए गए वृद्धिक कारोबार पर वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2029-30 की अवधि के दौरान अर्थात 5 वर्ष की अवधि हेतु योजना के तहत प्रोत्साहन उपलब्ध होंगे। तथापि, यदि कोई कंपनी एक वर्ष पहले ही निवेश और उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होती है तो, वे वर्ष 2024-25 से प्रारंभ करके वर्ष 2028-29 तक 5 वर्ष की अवधि हेतु एक वर्ष पहले ही पात्र हो जाएंगे।

2. उद्देश्य

उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना वस्त्र उद्योग को एक स्तर और आकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए देश में एमएमएफ अपैरल तथा फैब्रिक और तकनीकी वस्त्र उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने;प्रतिस्पर्धी बनने और लोगों के लिए रोजगार अवसरों का सुजनकरनेके लिए लक्षित है।

उत्पाद विवरण

5444 GI/2021 (1)

यह योजना अनुबंध-। में सूचीबद्ध एमएमएफ अपैरल, अनुबंध-।। में सूचीबद्ध एमएमएफ फैब्रिक तथा अनुबंध-।।। में सूचीबद्ध तकनीकी वस्त्र उत्पादों के 10 क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित है। एमएमएफ अपैरल, फैब्रिक तथा तकनीकी वस्त्रों के उत्पादों के कारोबार की गणना 8-अंकीय एचएस कोड के जीएसटी इन्वॉयस में उत्पाद विवरण के आधार पर की जाएगी।

4. योजना क्षेत्र और प्रोत्साहन

4.1 योजना भाग-1: कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित लाइनों के उत्पाद उत्पादित करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा सिविल कार्यों (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागत को छोड़कर) में न्यूनतम 300 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए इच्छुक फर्म/कंपनी को शामिल करता है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तथापि, इस योजना के तहत निवेश शुरू करने से पहले आवेदक को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अलग कंपनी बनानी होगी। इस योजना के तहत ऐसी कंपनी इस योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री द्वारा न्यूनतम 600 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होंगी। अतएव, प्रोत्साहन पाने के लिए, न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। भागीदार कंपनी से 2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 जिसे वर्ष 1 माना जाएगा, के पश्चात अपेक्षित कारोबार प्राप्त कर लेने की आशा की जाती है तथा एमएमएफ तथा तकनीकी वस्त्र की अधिसूचित लाइनों में अपेक्षित कारोबार प्राप्त कर लेने पर 15 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद के वर्षों में 5 वर्ष तक अगले वर्ष के कारोबार में 25 प्रतिशत का न्यूनतम अतिरिक्त वृद्धिक कारोबार प्राप्त कर लेने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2 से वर्ष 5 तक प्रतिवर्ष प्रोत्साहन 1 प्रतिशत कम होता जाएगा अर्थात 5वें वर्ष में 11 प्रतिशत होगा। केवल ऐसी बिक्रियों की गणना की जाएगी जिनका लेनदेन सामान्य बैकिंग चैनल के माध्यम से हुआ है।

4.2योजना भाग-2: कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित लाइनों के उत्पाद उत्पादित करने के लिए संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा सिविल कार्यों (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागतों को छोड़कर) में न्यूनतम 100 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए इच्छुक फर्म/कंपनी को शामिल करता है, वह योजना के इस भाग में भागीदारी हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगा। तथापि, निवेश शुरू करने से पहले कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवेदक को एक कंपनी के रूप में पंजीकृत करना होगा। योजना के तहत ऐसी कंपनी योजना के तहत अधिसूचित उत्पादों के विनिर्माण और विक्री द्वारा न्यूनतम 200 करोड़ रुपए का कारोबार प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने की पात्र होगी। अतएव, प्रोत्साहन पाने के लिए, न्यूनतम निवेश और न्यूनतम कारोबार की दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। भागीदार कंपनी से 2 वर्ष की जेस्टेशन अवधि उपरांत वित्तीय वर्ष 2024-25 जिसे वर्ष 1 माना जाएगा के पश्चात अपेक्षित कारोबार प्राप्तकर लेने की आशा की जाती है तथा एमएमएफ एवं तकनीकी वस्त्र की अधिसूचित लाइनों में अपेक्षित कारोबार प्राप्त कर लेने पर कारोबर पर 11 प्रतिशत प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद के वर्षों में वर्ष 5 तक अगले वर्ष के कारोबार में 25 प्रतिशत का न्यूनतम अतिरिक्त वृद्धिक कारोबार प्राप्त कर लेने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। तथापि, वर्ष 2 से वर्ष 5 तक प्रतिवर्ष प्रोत्साहन 1 प्रतिशत कम होता जाएगा अर्थात 5वें वर्ष में 7 प्रतिशत होगा। केवल ऐसी विक्रियों की गणना की जाएगी जिनका लेनदेन सामान्य बैकिंग चैनल के माध्यम से हुआ है।

5. योजना के दोनों भागों के लिए सामान्य शर्तैं:

- (क) जीएसटी इन्वॉयस के तहत फैक्टरी से हटाए गए अधिसूचित उत्पादों पर ही वृद्धिशील कारोबार की गणना हेतु विचार किया जाएगा बशर्ते कि ऐसे व्यापार हेतु भेजी गई रकम की वसूली/प्राप्ति सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से की गई हो;
- (ख) दूसरे वर्ष से प्रोत्साहन की गणना के लिए 25 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार की वृद्धि पर 10 प्रतिशत की सीमा का प्रावधान होगा। इस सीमा से अधिक प्राप्त किए गए कारोबार पर प्रोत्साहन की गणना हेतु विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, प्रथम वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की यह सीमा योजना के तहत किए गए निवेश के दोगुना कारोबार के अलावा लागू होगी। निवेश के दुगने से अतिरिक्त प्राप्त किया गया कारोबार + 10 प्रतिशत को प्रथम वर्ष में प्रोत्साहन की गणना हेत विचार नहीं किया जाएगा।

- (ग) भारत में पंजीकृत केवल विनिर्माण कंपनी योजना के तहत भागीदारी हेतु पात्र होंगी। भागीदार कंपनी को योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित किए गए अनुसार अपने फैक्टरी स्थानों में पर्याप्त मूल्य वृद्धि करनी होगी। एकीकृत फाइबर/यार्न से फैब्रिक, परिधान तथा तकनीकी वस्त्रों में न्यूनतम 60 प्रतिशत तक की मूल्य वृद्धि वाले परियोजना प्रस्ताव को ही चयनित किया जाएगा। तथापि, स्वतंत्र फैब्रिक प्रसंस्करण हाउस के लिए न्यूनतम मूल्य वृद्धि की आवश्यकता केवल 30 प्रतिशत होगा।
- (घ) व्यापार तथा आउटसोर्स किए गए जॉब वर्क से प्राप्त कारोबार पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना के तहत पंजीकृत कंपनी द्वारा निर्मित माल ही प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा। दूसरे शब्दों में, उसी समूह कंपनी की दूसरी इकाई द्वारा निर्मित सामान की गणना कारोबार/वृद्धिशील कारोबार के लिए नहीं की जाएगी।
- (ङ) प्रतिभागी कंपनी का चयन उद्देश्य परक मापदंड अर्थात प्रासंगिक अनुभव, वित्तीय और तकनीकी क्षमता, प्रस्तावित निवेश का आकार, संभावित रोजगार के अवसर सृजन करने की क्षमता, प्रस्तावित प्रोजेक्ट का स्थान आदि पर आधारित पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। चयनित आवेदक (प्रतिभागी कंपनी) को इस योजना के तहत उत्पादन के इनपुट की माल सूची और बिक्री के आंकड़े सहित पृथक लेखा और तुलन पत्र का रख-रखाव करना होगा।
- (च) एक समूह की केवल एक कंपनी को वस्त्र के लिए पीएलआई हेतु पंजीकृत करने की अनुमित दी जाएगी और दूसरे भागीदार के रूप में इस योजना के लिए उनके समूह की अन्य कंपनियां पात्र नहीं होंगी। हालांकि, समूह विचार हेतु एक (1) से अधिक आवेदन कर सकता है परन्तु प्रस्ताव के संबंध में चयन के समय उन्हें निर्णय लेना होगा कि पारदर्शी चयन प्रक्रिया के आधार पर उनके एक (1) से अधिक शार्टलिस्ट किए गए प्रस्तावों की स्थिति में वे आगे किसे ले जाना चाहते हैं।
- (छ) यह योजना लाभार्थी को भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई शुल्क छूट/शुल्क रियायत/शुल्क निष्प्रभावन अथवा राज्य सरकार की योजनाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोकती है।
- (ज) उद्योग के लिए कोई स्थाई सहायता नहीं होगी। यह योजना प्रतिस्पर्धी उद्योग के निर्माण को सहायता प्रदान करने के लिए है। इसलिए, योजना के माध्यम से केवल सक्षम, टिकाऊ उद्योग कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी।
- (झ) योजना का कुल निधि व्यय और अवधि निश्चित है। निधि की उपलब्धता होने पर योजना अवधि में नए प्रवेशकों को वर्ष 2022-23 तक प्रवेश की अनुमित प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में, निवेश वित्त वर्ष 2023-24 तक पूरा हो जाना चाहिए और 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में शुरू होना चाहिए। यदि निर्धारित शर्तें समय पर पूरी नहीं की जाएगी तो प्रोत्साहन कम वर्षों के लिए उपलब्ध होगा, किंतु प्रोत्साहन की दर वही होगी जो योजना के पहले वर्ष के लिए निर्धारित की गई है और इसी तरह दर शेष अवधि के लिए भी प्रदान की जाएगी।
- (ञ) यदि कोई प्रतिभागी कंपनी योजना अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में अपेक्षित कारोबार लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगी तो उसे इस योजना के तहत उस वर्ष कोई प्रोत्साहन नहीं प्रदान किया जाएगा। तथापि, योजना अवधि के भीतर बाद के वर्षों में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। ऐसे प्रतिभागियों को कम वर्षों के लिए सहायता मिलेगी लेकिन सहायता का दर उल्लेख ऊपर पैरा (झ) में दिये गये प्रकार से देय होगा ।

6. योजना अवधि:

यह योजना 2029-30 तक वैध रहेगी। योजना के दोनों भागों के लिए जेस्टेशन अविध (2) वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2022-2023 से 2023-2024 के लिए होगी।

7. योजना कार्यान्वयन की रूपरेखा:

योजना भाग-1 एवं भाग-2

वर्ष	योजना पूरी होने की अवधि	निष्पादन वर्ष	प्रोत्साहन दावे का वर्ष
*	वि.व. 2022-2023		
*	वि.व. 2023-2024		
1		वि.व.2024-2025	वि.व.2025-2026
2		वि.व.2025-2026	वि.व.2026-2027
3		वि.व.2026-2027	वि.व.2027-2028
4		वि.व.2027-2028	वि.व.2028-2029
5		वि.व.2028-2029	वि.व.2029-2030

8. योजना के दिशानिर्देश

अपेक्षित मंत्रालयों/विभागों के परामर्श के बाद आवेदन आमंत्रित करने, पात्र कंपनी का चयन, योजना की प्रभावी निगरानी, प्रोत्साहन जारी करना,शिकायत निवारण तंत्र विकसित करने आदि के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अधिसूचित किए जाएंगे।

9. योजना की समीक्षा एवं निगरानी

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा दिनांक 10.06.2020 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या पी 36017/144/2020-निवेश एवं सर्वर्धन के तहत गठित अधिकार प्राप्त सचिवों का समूह (ईजीओएस) योजना के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेगा। वस्त्र क्षेत्र की पीएलआई योजना की मॉनीटरिंग के लिए ईजीओएस की संरचना निम्नानुसार होगी:

- 1) मंत्रिमंडल सचिव, अध्यक्ष
- 2) सीईओ नीति आयोग, सदस्य
- 3) सचिव, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, सदस्य संयोजक
- 4) सचिव, वाणिज्य विभाग, सदस्य
- 5) सचिव, राजस्व विभाग, सदस्य
- 6) सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, सदस्य
- 7) सचिव, वस्त्र

मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में सचिवों का अधिकार समूह (ईजीओएस) इस पीएलआई योजना की प्रगति को मॉनीटर करेगा; योजना के तहत व्यय की आवधिक समीक्षा करेगा, अन्य पीएलआई के साथ एकरूपता सुनिश्चित करेगा और निर्धारित परिव्यय के भीतर ही व्यय सुनिश्चित करने के लिए यथोचित कार्रवाई करेगा। ईजीओएस के पास योजना के तौर तरीकों में कोई परिवर्तन करने और कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न वास्तविक कठिनाई से संबंधित सभी मामलों का समाधान करने का अधिकार 10683 करोड़ रूपये के समग्र वित्तीय परिव्यय के भीतर होगा।

10. प्रभाव: यह अधिसूचना, जारी होना की तारीख से प्रभावी होगी। यदि इस योजना के तहत निवेशक कंपनी का चयन किया जाएगा, तो निवेश मापदंड को पूरा करने के लिए इस अधिसूचना के पश्चात किए गए परिकल्पित निवेश की गणना की जाएगी।

विजय कुमार सिंह, अपर सचिव

अनुबंध-।

एमएमएफ अपैरल उत्पादों की सूची को 8 अंकों एचएस कोड में मुख्यत: चिन्हित किया जाएगा।

क्र.सं.	6 अंक एचएस	उत्पाद विवरण	8 अंक एचएस कोड	उत्पाद विवरण
	कोड			
1.	611030	जर्सी, पुलओवर, कार्डिगन, वास्कट और ,	61103010	सिंथेटिकफाइबर की जर्सी आदि
		मानव निर्मित फाइबर के इसी तरह		
		केआइटम , बुना हुआ		
			61103020	कृत्रिम फाइबर की जर्सी आदि
2.	620193	 मानव निर्मित फाइबर केपुरुषों या	62019300	मानव निर्मित फाइबर के इसी तरह के
		लड़कों के अनारक, विंडचीटर, विंड जैकेट		अन्य आइटम
		और इसी तरह के आइटम,		
3.	620293	महिलाओं या लड़कियों के अनारक,	62029310	विंड एंड स्की-जैकेट, विंड चीटर्स
		विंडचीटर, विंड जैकेट और मानव		,,
		निर्मित फाइबर के इसी तरह के आइटम		
4.	620343	~	62034300	सिंथटिक फाइबर के पुरूषों या लड़कों के
		पतलून, बिब और ब्रेस ओवरआल्स,जांघिया		पजामा, बिब और ब्रेस, ओवरआल्स,
		और शॉर्ट्स (छोड़कर		जांघिया और शॉर्ट्स
5.	610463	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं या लड़कियों	61046300	सिंथेटिक फाइबर के पजामा, बिब और
		की पजामा, बिब और ब्रेस ओवरआल्स,		ब्रेस ओवरऑलस, जांघिया और शॉर्ट्स
		जांघिया और शॉर्ट्स ,		
6.	620463	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं या लड़कियों	62046300	सिंथेटिक फाइबर के पजामा, बिब और
		की पजामा, बिब और ब्रेस ओवरआल्स,		ब्रेस ओवरऑलस, जांघिया और शॉर्ट्स
		जांघिया और शॉर्ट्स		
7.	620213	महिलाओं या लड़िकयों के ओवरकोट,	62021300	ओवरकोट, रेनकोट, कारकोट, टोपी,
		रेनकोट, कार कोट, टोपी, लबादे और मानव		लबादेऔरमानव निर्मित फाइबर के इसी
		निर्मित फाइबर के इसी तरह के आइटम		तरह के आइटम
8.	610443	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं या लड़कियों	61044300	सिंथेटिक फाइबर के पोशाक
		की ड्रेसेज , बुना हुआ या क्रोकेटेड (पेटीकोट		
		को छोड़कर)		(1)
9.	611596	फुल-लेंथ या नी-लेंथ स्टॉकिंग्स, मोज़े और	61159600	सिंथेटिक फाइबर के अन्य होजरी सामान
		अन्य होजरी, अनुप्रयुक्त जूतों सहित।		6:36
10.	620433	महिलाओं या लड़िकयों के जैकेट और सिंथेटिक फाइबर के ब्लेज़र (बुना हुआ या		सिंथेटिक फाइबर की जैकेट
		क्षियोटक काइबर क ब्लग़र (बुना हुआ या क्रोकेटेड को छोड़कर,		
11	610242		61024200	Dio Ar missis is manner of the conference
11.	610343	पुरुषों या लड़कों केपजामा, बिब और ब्रेस	01034300	सिंथेटिक फाइबर के पजामा, शॉर्ट्स आदि

		ओवरऑल्स, जांघिया और सिंथेटिक फाइबर		
		के शॉर्ट्स , बुना हुआ		
12.	611241	सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं या लड़कियों	61124100	सिंथेटिक फाइबर के महिलाएं/लड़कियों के
		के स्विमवीयर , बुना हुआ या क्रोकेटेड		स्विमवीयर
13.	611430	मानव निर्मित फाइबर के पेशेवर , खेल या	61143010	सिंथेटिक फाइबर के अन्य वस्त्र
		अन्य उद्देश्यों के लिए विशेष		
		वस्त्र एनईएस ।,		
			61143020	कृत्रिम रेशों के अन्य वस्त्र
14.	610822	मानव निर्मित फाइबर के महिलाओं या	61082210	सिंथेटिकफाइबर की ब्रीफ्स और पेंटीज
		्। लड़कियों के ब्रीफस और पेंटीज, बुनाहुआ या		
		क्रोकेटेड		
			61082220	कृत्रिम फाइबर के ब्रीफस और पेंटींज
15.	620333	सिंथेटिक फाइबर के ब्लेज़र पुरुषों या	62033300	सिंथेटिक फाइबर के जैकेट और ब्लेज़र
		लड़कों के जैकेट और (बुना हुआ या क्रोकेटेड		
		को छोड़कर, और		
16.	621133	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों या लड़कों	62113300	पुरूषों/लड़कों के लिए मानव निर्मित
		के ट्रेकसूटस और अन्य		फाइबर के अन्य वस्त्र
		वस्त्र, एनईएस। (बुना हुआ को छोड़कर)		
17.	620113	पुरुषों या लड़कों के ओवरकोट, रेनकोट,	,62011310	मानव निर्मित फाइबर के रेनकोट
		कार कोट, टोपी, लबादे और मानव निर्मित	Г	
		फाइबर के इसी तरह के आइटम		
18.	620453		62045300	सिंथेटिक फाइबर की स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट
		लड़िकयों की स्कर्ट और विभाजित		स्कट
		स्कर्ट (बुना हुआ या क्रोकेटेड को छोड़कर)		
19.	610230	स्की जैकेट, विंडचीटर सहितमहिलाओं या	61023010	सिंथेटिक फाइबर के ओवरकोट आदि
		लड़िकयों के ओवरकोट, कार कोट, टोपी,	,	
		लबादा, अनारक,		
			61023020	कृत्रिम फाइबर का ओवरकोट आदि
20.	620530	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों या लड़कों	62053000	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों या
		की शर्ट (बुना हुआ या क्रोकटेड नाइटशर्ट,		लड़कों के शर्ट्स
		सिंगलेट को छोड़कर,		
21.	610832	मानव निर्मित फाइबर के महिलाओं या	61083210	सिंथेटिक फाइबर के नाइट ड्रेसेज और
		लड़िकयों की नाइटड्रेस और पजामा , बुना		पजामा
		हुआ या क्रोकेटेड (छोड़कर		
			61083220	कृतिम फाइबर के नाइटड्रेसेज और
				पजामा

22.	610620	मानव निर्मित फाइबर के महिलाओं या	61062010	सिंथेटिक फाइबर का ब्लाउज आदि
		लड़कियों के ब्लाउज, शर्ट और शर्ट-ब्लाउज,		
		बुना हुआ या क्रोकेटेड		
			61062020	पुर्नउत्पादित फाइबर(रेयान आदि) के ब्लाउज आदि
23.	610444	कृत्रिम फाइबर के महिलाओं या लड़कियों के	61044400	कृत्रिम फाइबर की ड्रेसेज
		ड्रेसेज, बुना हुआ या क्रोशियेटड (पेटीकोट		
		को छोड़कर)		
24.		सिंथेटिक फाइबर के महिलाओं या लड़कियों		सिंथेटिक फाइबर की जैकेट
		के जैकेट और ब्लेज़र , बुना हुआ या क्रोकेटेड		
		(छोड़कर		
25.	621430	शॉल, स्कार्वस, मफलर, मंटिलस, वेइल्स	62143000	सिंथेटिक फाइबर के शॉल, स्कार्व ,मफलर्स
		और सिंथेटिक फाइबर के इसी तरह वे	7	आदि
		आइटम (छोड़कर)		
26.	610892	महिलाओं या लड़िकयों की लेगीज	,61089210	सिंथेटिक फाइबर की लेगीज आदि
		वाथरोब्स, ड्रेसिंग गाउन, हाउस जैकेट और	τ	
		इसी तरह के सामान		
			61089220	कृत्रिम फाइबर की लेगीज, वाथरोब्सआदि
27.	611521	—————————————————————————————————————	61152100	सिंथेटिक फाइबर के पैंटीहोज और चड्डी
		बुना हुआ या क्रोकेटेड, प्रति एकल यार्न को		,प्रति सिंगल यार्न 67 डेसीटेक्स से कम
		मापने हुए <		मापते हुए
28.	610130	स्की जैकेट, विंडचीटर, विंड-जैकेट सहित	61013010	सिंथेटिक फाइबर के ओवरकोटआदि
) ओवरकोट, कार कोट, केप, लबादा,		
		एनोरक्स,		
		, .	61013020	कृत्रिम फाइबर के ओवरकोट आदि
29.	610712	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों या लड़कों	61071210	
2).	010712	े के जांघिया और ब्रीफस , बुना हुआ या	01071210	
		क्रोकेटेड		
			61071220	कृतिम फाइबर के जांघिया और ब्रीफस
30.	611693		61169300	
		हुआ या क्रोकेटेड (इमप्रेगनेटेड को छोड़कर,		
31.	610453		61045300	सिथेटिकफाइबर की स्कर्ट और विभाजित
-		लड़कियों की स्कर्ट और विभाजित स्कर्ट ,		स्कर्ट
		(बुना हुआ या क्रोकेटेड छोड़कर)		
32.	621111	पुरुषों या लड़कों के स्विमवीयर (बुना हुआ	62111100	पुरुषों या लड़कों के लिए स्विमवीयर
		या क्रोकेटेड को छोड़कर)		

	1		1	12.02
33.	620312	सिंथेटिक फाइबर के पुरुषों या लड़कों के	62031200	सिंथेटिक फाइबर के सूट
		सूट (बुना हुआ या क्रोकेटेड छोड़करट्रैकसूट,		
		स्की सूट		
34.	611212	सिंथेटिक फाइबर के ट्रैक-सूट , बुना हुआ या	61121200	सिंथेटिक फाइबर के ट्रैक सूट
		क्रोकेटेड		
35.	620930	सिंथेटिक फाइबर के शिशुओं के कपड़े और	62093000	सिथेटिक फाइबर के शिशु वस्त्रऔर
		कपड़े के सामान (बुना हुआ या क्रोकेटेड को		क्लॉथिंग एक्सेस
		छोड़कर		
36.	620892	महिलाओं या लड़कियों के बनियान और	62089210	ड्रेसिंग गाउन और बाथरोब्स
		अन्य स्वेटर, ब्रीफस, जाँघिया, लेगीज , स्नान		
		वस्त्र, ड्रेसिंग		
37.	611522	सिंथेटिक फाइबर के पेंटीहोज और चड्डी ,	61152200	सिंथेटिक फाइबर कीपैंटीहोज और चड्डी
		बुना हुआ या क्रोकेटेड, प्रति एकल यार्न को		प्रति सिंगल यार्न 67 डेसीटेक्स या अधिक
		मापने> =		की माप के
38.	610722	मानव निर्मित फाइबर के पुरुषों या लड़कों	61072210	सिथेंटिकफाइबर के नाइटशर्ट्स और
		की नाइटशर्ट और पजामा , बुना हुआ या		पजामा
		क्रोकेटेड (छोड़कर		
			61072220	कृत्रिम फाइबर के नाइटशर्ट्स और पजामा
39.	611231	सिंथेटिक फाइबर के पुरुषों या लड़कों के	61123100	सिथेटिक फाइबर के पुरुषों/लड़कों के
		स्विमवीयर, बुना हुआ या क्रोकेटेड		स्विमवीयर
	004440	महिलाओं या लड़कियों के स्विमवीयर (बुना		महिलाओं या लड़िकयों के लिए
40.	621112	माहलाआ या लड़ाकया कास्वमवायर (बुना हुआ या क्रोकेटेड को छोड़कर)	62111200	माहलाआ या लड़ाकया के ।लए स्विमवीयर
		8-11 11 11 1030 111 0110 11 7		

अनुबंध-II

एमएम	एमएमएफ अपैरल उत्पादों की सूची को 8 अंकों एचएस कोड में मुख्यत: चिन्हित किया जाएगा।					
क्र.सं.	6 अंकएचएस कोड	उत्पाद वर्णन	8 अंक एचएस कोड	उत्पाद वर्णन		
1.		यार्न के बुने हुए कपड़े जिसमें टेक्सचर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से> = 85% शामिल हैं, मोनोफिलामेंट सहित		पॉलिएस्टर शर्टिंग्स		
			54075220	पॉलिएस्टर सूटिंग्स		
2.		सिंथेटिक फाइबर के , 30 सेमी> की चौड़ाई के रंगे हुए कपड़े, बुना हुआ या क्रोकेटेड (ताना को छोड़कर		सिथेटिक फाइबर के अन्य बुना हुआ या क्रोशेड, रंगे कपड़े		
3.		यार्न के बुने हुए कपड़े जिसमें नान टेक्सचर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से> = 85% शामिल हैं, सहित।		पॉलिएस्टर शूर्टिंग्स		
			54076120	पॉलिएस्टर शूटिंग्स		

4.	600192	मानव निर्मित फाइबर के ढेर कपड़े , बुना हुआ या क्रोकेटेड ("लंबे ढेर" कपड़े को छोड़कर)	00010200	मानव निर्मितफाइबरके अन्य ढेर कपड़े
5.	540754	यार्न के बुने हुए कपड़े जिसमें टक्सचर्ड पॉलिएस्टर फिलामेंट्स के वजन से> = 85% शामिल हैं, मोनोफिलामेंट सहित 		पॉलिएस्टर शर्टिंग
6.	580632	<= 30 सेमी, नेस की चौड़ाई के साथ मानव निर्मित फाइबर के संकीर्ण बुने हुए कपड़े।		मानव निर्मित फाइबर के अन्य संकीर्ण बुने हुए कपड़े
7.	551511	मुख्य रूप सेबुने हुए कपड़े, लेकिन वजन के हिसाब से<85% पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर , मिश्रित		पॉलिस्टर के कपड़े विस्कोस रयोन, अनबिलच्ड के साथ मिश्रित
			55151120	पोलिस्टर के कपड़े विस्कोस रयोन, बिलच्ड के साथ मिश्रित
			55151130	पोलिस्टर के कपड़े विस्कोस रयोन, रंगे के साथ मिश्रित
			55151140	पोलिस्टर के कपड़े विस्कोस रयोन, मुद्रित के साथ मिश्रित
8.	600537	सिंथेटिक फाइबर के रंगे हुए ताने-बाने बुने हुए कपड़े "जिनमें गैलन बुनाई मशीनों पर बने हुए शामिल हैं		अन्य, रंगे हुए
9.	551614	बुने हुए कपड़े जिनमें वजन के अनुसार >= 85% कृत्रिम स्टेपल फाइबर होते हैं , मुद्रित	55161410	काता रेयान मुद्रित शूटिग्स
			55161420	काता रेयान मुद्रित लिनन
10.	540742	फिलामेंट यार्न के बुने हुए कपड़े जिसमें वजन के अनुसार>= 85% नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड शामिल हैं।		नायलॉन ब्रासो
			54074220	नायलॉन जॉर्जेट
			54074230	नायलॉन तफ़ता
11.	551219	बुने हुए कपड़े जिनमें वजन के आधार पर >= 85%पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर होते हैं, रंगे हुए, जो अलग-अलग यार्न से बने होते हैं		अन्य बुने हुए कपड़े रंगे कटिंग पॉलिस्टर >= 85%
			55121920	अन्य बुने हुए कपड़े, प्रिंटेड कटिंग पॉलिस्टर > =85%
12.	540710	उच्च-दृढ़ता यार्न, नायलॉन, अन्य पॉलियामाइड या पॉलीएस्टर के बुने हुए कपड़े, मोनोफिलामेंटसहित		अनब्लेच्डनायलॉन फर्निशिंग कपड़े

10		THE GAZETTE OF INDIA	A : EXTRAORDIN	NARY [PART I—SEC.1
			54071015	अनब्लेच्ड अन्य नायलॉन/पॉलियामाइ कपड़े(फिलामेंट)
			54071016	पॉलिएस्टर सूटिंग्स
			54071019	अनब्लेच्डअन्य पॉलिएस्टर कपड़े
			54071023	ब्लीचड नायलॉन फर्नशिंग कपड़े
			54071025	ब्लीचड अन्य नायलॉन/पॉलियामाइड कप (फिलामेंट)
			54071026	ब्लीचड पॉलिएस्टर सूटिंग
			54071033	रंगे नायलॉन फर्निशिंग कपड़े
			54071035	रंगे अन्य नायलॉन/पॉलियामाइड कप (फिलामेंट)
			54071036	रंगे पॉलिएस्टर सूटिंग्स
			54071043	मुद्रित नायलॉन फर्निशिंग कपड़े
			54071045	मुद्रित अन्य नायलॉन/पॉलियामाइड कप (फिलामेंट)
			54071046	मुद्रित पॉलिएस्टर सूटिंग्स
			54071049	मुद्रित अन्य पॉलिएस्टर कपड़े
			54071093	अन्य नायलॉन फर्निशिंग कपड़े
			54071096	अन्य पॉलिएस्टर सूटिंग्स
			54071099	अन्य पॉलिएस्टर कपड़े एनईएस
13.	540720	सिंथेटिक फिलामेंट की स्ट्रिपकेया इसी तरह के बुने हुए कपड़े, >= 67 डेसीटेक्स का मोनोफिलामेंट . सहित।	54072010	स्ट्रिप/इसी प्रकार से अनब्लेचड बुने हु कपड़े
			54072020	स्ट्रिप/इसी प्रकार से ब्लेचड बुने हुए कपड़े
			54072030	स्ट्रिप/इसी प्रकार से रंगेबुने हुए कपड़े
			54072040	स्ट्रिप/इसी प्रकार से मुद्रितबुने हुए कपड़े
14.	540769	यार्न के बुने हुए कपड़े जिसमें टेक्सचर्ड और नॉन टेक्सचर्ड के मिश्रण के से> 85% वजन होता है	54076900	बुने हुए कपड़े जिसमें 85% या उस अधिक नॉन टेक्सचर्ड पॉलिस्टर फिलामेंट अलावा वजन होता है।

अनुबंध-III

तकनीकी वस्त्र उत्पादों की सूची

	1	1		के दिशानिर्देशों के साथ अधिसूचित किया जाएगा)
क्र.सं.	क्षेत्र	उत्पाद	सांकेतिक एचएसएन कोड	विवरण
1.	जियोटेक्सटाइल	जियो-ग्रिड	56039400	गैर-ववेन -अन्य : 150 से अधिक भार
		जियो- नेट	54079110	अन्य बुने वस्त्र : अनवील्चड अथवाबील्चड: अनवील्चड
				अन्य बुने फैब्रिक , सिंथेटिक फिलामेंट्स के वजन से 85%
			54077110	या उससे अधिक युक्त: अनवील्चड अथवाबील्चड:
				अनवील्चड
		जियोमेमब्रेन्स	54071099	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड या पॉलीएस्टर के उच्च टेनासिटी यार्न से प्राप्त बुवेन फैब्रिक: अन्य: अन्य
			54071019	अनबिल्चडअन्य पॉलिएस्टर कपड़े
		जियो-टियूब्स/जियो-	63059000	अन्य वस्त्र सामग्री के सामान की पैकिंग के लिए उपयोग
		बैग्स		किए जाने वाले एक प्रकार के सैक और बैग
			39174000	ट्यूब पाइप और प्लास्टिक के होसेस के लिए फिटिंग
		प्राकृतिक फाइबर से	53110015	अन्य वनस्पति वस्त्र फाइबर के बुने हुए कपड़े; पेपर यार्न
		जिया टेक्सटाइल		के बुने हुए कपड़े: कॉयर के लॉग फॉर्म और जियो
				टेक्सटाइल सहित
2.	एग्रो -टेक्सटाइल	शेड-नेट	60059000	रैप निट फैब्रिक (गैलन निटिगं मशीनों पर बने सहित),
				अन्य
			94060011	ग्रीन हाउस-इन रेडी टू असेंबल
		मल्च-चटाई	56031200	नॉन बुवेन, यदि 25जी/एसक्यूएमऔर 70
				जी/एसक्यूएमवजन के बीच में इंप्रेग्नेटेड, कोटेड, कवर्ड या
				लैमिनेटेड हो या नहीं - मानव निर्मित फिलामेंट
				डब्यलूजीएचएनजी> 25जी/एसक्यूएम
		एंटी-ओला/एंटी-		
		बर्ड/एंटी-फॉग प्रोटेक्शन नेट	60059000	ऊन या फाइन जानवरों के
				बालों के रैप निटेड फैब्रिक
		फिसिंग नेट	56075010	नायलॉन फिश नेट टविइन
		क्रॉप कवर	56031100	25 जी/एसक्यूएम से कम वजन वाले मानव निर्मित
				फिलामेंट से बने हुए कोटेड, कवर्ड या लेमिनेटेड नॉन वुवेन
		टर्फ सुरक्षा नेट	56031300	70 से 150 जी/एसक्यू एमके बीच वजन वाले मानव
				निर्मित फिलामेंट से कोटेड, कवर्ड या लैमिनेटेड नॉन-वुवेन
3.	चिकित्सा/स्वच्छता वस्त्र	बॉडी डायपर, वयस्क	96190010	सेनेटरी टॉवल (पैड) या सैनिटरी नैपकिन
		डायपर, इनकानटीनेन्स	96190020	बच्चों के लिए सैनिटरी टॉवल (पैड) और टैम्पोन, नैपकिन
		डायपर, सेनेटरी		और नैपकिन लाइनर और किसी सामग्री के सामान मद: टैम्पोन

		नैपकिन	96190030	बच्चों के लिए सैनिटरी टॉवेल (पैड) और टैम्पोन, नैपकिन
			30130030	और नैपिकन लाइनर और किसी भी सामग्री के इसी तरह
				के सामान वस्तु: शिशुओं के लिए नैपकिन और नैपकिन
				लाइनर
			96190040	क्लीनिक्ल डायपर
			96190090	बच्चों के लिए सैनिटरी टॉवल (पैड) और टैम्पोन, नैपकिन
				और नैपकिन लाइनर और इसी तरह की किसी भी सामग्री
				के सामान: अन्य
		सर्जिकल ड्रेसिंग,	59061000	चिपकने वाला टेप जिसकी चौड़ाई 20 सेमी से अधिक न
		बैनडिज, घाव केयर		हो
		उत्पाद	30051010	चिपकने वाली गुज बैंडज
			30051020	चिपकने वाला टेप (मेडिकल)
			30059040	चिपकने वाली परत के बिना बैंडज
			30059050	सुरक्षात्मक जैल्ल में सॉक्ड बर्न ड्रेसिंग थेरेपी
			56012200	वैडिंग; कॉटन वैडिंग की अन्य समान: अन्य (मानव निर्मित
				फाइबर)
			56012900	वस्त्र सामग्री और उसकी सामग्री की वैडिंग; वस्त्र फाइबर,
				लंबाई (फ्लॉक) में 5 मिमी से अधिक न हो, वस्त्र डस्ट और
				मिल नेप्स: मानव निर्मित फाइबर (अन्य) की बैडिंग
		वैरिकाज़ विन्स लिए	61151000	पैंटी होज़, टाइट्स, स्टॉकिंग्स, मोज़े और अन्य होजरी,
		कम्प्रैशन स्टॉकिंग्स		जिसमें ग्रेजुएटेड कम्प्रेशन होजरी (उदाहरण के लिए,
				। वैरिकाज़ नसों के लिए स्टॉकिंग्स) और बिना प्रयुक्त तलवों
				के जूते, बुना हुआ या क्रोकेटेड शामिल हैं: ग्रेजुएट कमप्रशन
				होजरी (उदाहरण के लिए, वैरिकाज़ नसों के लिए
				स्टॉकिंग्स)
		सर्जिकल टांके	30061010	स्ट्राइल, सर्जिकल कैटगट और इसी तरह की स्ट्राइलटांका
				सामग्री (स्ट्राइल सोखने योग्य सर्जिकल या दंत यार्न सहित) और सर्जिकल वाउंड क्लोजर के लिए स्ट्राइलटिश्यू चिपकने वाला।
4.	रक्षा वस्त्र	बुलेट प्रूफ जैकेट,	62104010	फैब्रिक को शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907
		बनियान और वर्दी		से बने - अन्य पुरुषों या लड़कों के गारमेंट्स: बुलेट प्रूफ
		परमाणु, जैविक और		जैकेट, बम डिस्पोजल जैकेट और इसी तरह के
		रासायनिक युद्ध सूट		
		सैन्य उपयोग के लिए		
		उच्च दृश्यता वाले वस्त्र		
		और इन्फ्रा-रेड वस्त्र अधिक ऊंचाई वाले		1000 1000 - 1000 - 1000 - 1000 - 1000
		आधक ऊचाइ वाल कपड़े		फैब्रिक्स, शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907
			62102010	से बने वस्त्र- अन्य वस्त्र, उपशीर्षक 6201 11 से 6201
				19 में वर्णित प्रकार के: रबरयुक्त वस्त्र फैब्रिक के बाहरी

				वस्त्र,
		लड़ाकू विमान वस्त्र		फैब्रिक्स के शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907
			62102020	से बने वस्त्र- अन्य वस्त्र, उपशीर्षक 6201 11 से 6201
				19 में वर्णित प्रकार के: बाहरी वस्त्र, सेल्यूलोज डेरिवेटिव
				की तैयारी के साथ फैब्रिक इम्प्रगेनेटड, कोटेड, कवर्ड या
				लेमिनेटेड और अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री
		उप-समुद्री कपड़े	-	गारमेंट्स, फैब्रिक्स के शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906
				या 5907 से बने वस्त्र- अन्य वस्त्र, उपशीर्षक 6201 11
			62103010	से 6201 19 में वर्णित प्रकार के: बाहरी वस्त्र, सेल्यूलोज
				डेरिवेटिव की तैयारी के साथ फैब्रिक इम्प्रगेनेटड, कोटेड,
				कवर्ड या लेमिनेटेड और अन्य कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री
			62104090	5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 शीर्षक के कपड़े
			02101000	से बने आर्मेंन्टस- अन्य पुरुषों या लड़कों के वस्त्र: अन्य
		सैन्य उपयोग के लिए	63062200	
		तंबू, पैराशूट,		
		ार् _र कोलपस्बिल वस्त्र		सनब्लाइंड; तम्बू; नावों, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट के लिए
		आवास		पाल; माल तंबू: सिंथेटिक फाइबर के
		गैस मास्क सहित विशेष	90200000	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को
		मास्क		 छोड़कर जिसमें न तो यांत्रिक भाग हों और न ही फिल्टर
				का स्थापन्न
		सैन्य उपयोग के लिए		अन्य हेडगियर, बिनालाइनेड या ट्रिम किए गए सेफ्टी
		हेलमेट और सुरक्षा		हेडगियर: स्पीड ग्लास वेल्डिंग हेलमेट या अन्य हेलमेट
	गोगारम रूपः	उपकरण (वस्त्र तुलना) ऑटोमोबाइल के लिए	07000500	शीर्ष 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पुर्जे और
5.	मोबाइल वस्त्र:	सुरक्षा एयरबैग	01009000	सहायक उपकरण - अन्य भाग और सहायक उपकरण -
				इनफ्लैटरप्रणाली के साथ सुरक्षा एयरबैग; उसके भाग
		ऑटोमोबाइल टायर	56041000	रबर थ्रेड और कॉर्ड, टेक्सटाइल कवर्ड
		कॉर्ड	56075020	नायलॉन टायर कॉर्ड
			56075030	विस्कोस टायर कॉर्ड
			59021010	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड्स के उच्च तप यार्न के
				टायर कॉर्ड फैब्रिक: रबरयुक्त
			59021090	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड के टायर कॉर्ड फैब्रिक: अन्य
			59022010	पॉलिएस्टर के टायर कॉर्ड फैब्रिक: रबर युक्त
			59022090	पॉलिस्टर के टायर कॉर्ड फैब्रिक: अन्य

			59029010	अन्य टायर कॉर्ड फैब्रिक: रबड़ युक्त
			59029090	नायलॉन या अन्य पॉलियामाइड, पॉलीस्टर या विस्कोस
				रियान के उच्च टेनासिटी यार्न के टायर कॉर्ड फैब्रिक: अन्य
		ऑटोमोबाइल और	87082100	शीर्ष 8701 से 8705 के मोटर वाहनों के पुर्जे और
		एयरक्राफ्ट के लिए सीट बेबिंग		उपकरण : बॉडीज के अन्य भाग और सहायक उपकरण (कैब सहित) : सुरक्षा सीट बेल्ट
			84212300	सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर सहित सेंट्रीफ़्यूजेस; फ़िल्टरिंग या
		 कोच, विमान के लिए		शुद्धिकरण मशीनरी और उपकरण, तरल पदार्थ या गैसों
		वायु और तेल फिल्टर		के लिए फ़िल्टरिंग या शुद्धिकरण मशीनरी और तरल पदार्थ के लिए उपकरण: आंतरिक दहन इंजन के लिए तेल या पेट्रोल-फ़िल्टर
6.	खेल वस्त्र	खेल उपयोग के लिए	54071011	अनबिलच्ड पैराशूट फैब्रिक
		पैराशूट फैब्रिक/गुब्बारे फैबिक	54071021	बीलच्ड पैराशूट फैब्रिक
		फैब्रिक	54071031	रंगे हुए बिलच्ड पैराशूट फैब्रिक
			54071041	प्रिन्टेड बिलच्ड पैराशूट फैब्रिक
			54071091	अन्य बिलच्ड पैराशूट फैब्रिक
		नौकायन वस्त्र -	63061990	अन्य तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड; तम्बू; सेल्स
				फॉर वोट्स, सेलबोर्ड या लैंडक्राफ्ट के सैल; कैम्पिंग का
				सामान
		क्रिकेट, बॉक् रिं सग और	95069110	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक या एथलेटिक्स के
		अन्य खेलों के लिए		लिए समान और उपकरण: बॉक्सिंग उपकरण
			95069920	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स,
		(लेग गार्ड, बैटिंग ग्लव्स, थाई पैड)		अन्य खेलों के लिए समान और उपकरण: अन्य: क्रिकेट के लिए लेग पैड और बैट
			95069990	सामान्य शारीरिक व्यायाम, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स,
				अन्य खेलों (टैबलेटनिस सहित) के लिए समान और
				उपकरण या इस अध्याय में अन्यत्र निर्दिष्ट या शामिल नहीं किए गए
				अउट-डोर गेम; स्विमिंग पूल और पैडलिंग पूल - अन्य: -
				आन्य: अन्य
7.	सुरक्षात्मक वस्त्र (रक्षा	सुरक्षात्मक वस्त्र (रक् <u>षा</u>	62102010	फैब्रिक्स केशीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907
	वस्त्रों के अलावा):	वस्त्रों के अलावा):		से बने वस्त्र- उपशीर्षक 6201 11 में वर्णित प्रकार के
				अन्य वस्त्रमें
				6201 19 : रबरयुक्त वस्त्रों के आउटर वस्त्र,
		अग्निरोधी/अग्नि सुरक्षा		फैब्रिक्स के शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907
		वस्त्र		से बने वस्त्र, अन्य महिलाओं या लड़कियों के कपड़ों के
			62105000	फैब्रिक से बने
		रासायनिक/पेट्रोकेमिकल संरक्षण वस्त्र		शीर्ष 5602, 5603, 5903, 5906 या 5907 के फैब्रकि

	इलेक्ट्रिक आर्क सुरक्ष	Т	से बने वस्त्र- उपशीर्षक 6202 11 से 6202 19 में वर्णित
	वस्त्र		
	अग्निरोधी फैब्रकि	62103010	प्रकार के अन्य वस्त्र, : सेलूलोज़ डेरिवेटिव और अन्य
			कृत्रिम प्लास्टिक सामग्री के साथ तैयार किए गए या लैमिनेटेड वस्त्र के बाहरी वस्त्र, इम्प्रेगनेड, कोटेड, ढके हुए
	औद्योगिक दस्ताने, गैर	61161000	ग्लव्स, मिट्टेन और मिट्स, बुना हुआ या क्रोकेटेड
	सैन्य उपयोग के लिए	र	इम्प्रेगनेटड, कोटेड या प्लास्टिक या रबर से ढका हुआ
	उच्च दृश्यता वाले वरू		· ·
	सहित औद्योगिक सुरक्ष	Т	
	वस्त्र		
	N-95 और एन-99	990200000	अन्य श्वास उपकरण और गैस मास्क, सुरक्षात्मक मास्क को
	मास्क (एफएफपी-	2	छोड़कर जिसमें न तो यांत्रिक पार्टस हों और न ही बदलने
	और एफएफपी-	3	योग्य फिल्टर
	मास्क), गैस मास्क		
8. भवन/निर्माण वस्त्र:	स्थापत्य झिल्ली	39219099	प्लास्टिक की अन्य प्लेटें, शीट्स, फिल्म, फॉयल और
			स्ट्रीप- अन्य: अन्य: अन्य
	दीवार के चित्र	59050090	टेक्सटाइल वॉल कवरिंग: अन्य
		59050010	वस्त्र दीवार कवरिंग: किसी भी सामग्री की बैंकिग पर
			निर्धार्ण
	शामियाना औरकनोपी	63061200	सिंथेटिक फाइबर के तिरपाल, शामियाना और
			सनब्लाइंड आदि:
		63061920	तिरपाल, शामियाना और सनब्लाइंड; तम्बू; , सेलबोर्ड या
			लैंडक्राफ्ट के लिए टेंट; कैम्पिग सम्मानतिरपाल,शामियाना
			और सनब्लाइंड: अन्य वस्त्र सामग्री: कॉयर के ब्लइंडस् या एविंग्स
	ट्रेन के डिब्बों के लिए	उ9181010	प्लास्टिक के फर्श कवरिंग, चाहे स्वतः चिपकने वाला हो
	अग्निरोधी, अस्	प्रे	या न हो, रोल या टाइल के रूप में; प्लास्टिक की दीवार
	प्रतिरोधी, रासायनिव	क	या सीलिंग कवरिंग, जैसा कि इस अध्याय के नोट 9 में
	प्रतिरोधी, एंटी-स्टेटिव	क	परिभाषित है- विनाइल क्लोराइड के पॉलिमर: - निटेड
	और धूल प्रतिरोधी/औ	र	या बुवेन फैब्रिक, गैर-बुवेन हुए या फिल्ट के साथ संयुक्त
	मिश्रित बोर्ड जैसे विशेष	प	दीवार या छत के कवरिंग
	उद्देश्यों के लिए फश्	39189020	प्लास्टिक के फर्श कवरिंग, चाहे स्वतः चिपकने वाला हो
	कवरिंग।		या न हो, रोल या टाइल के रूप में; प्लास्टिक की दीवार
			या सीलिंग कवरिंग, जैसा कि इस अध्याय के नोट 9 में
			परिभाषित है- विनाइल क्लोराइड के पॉलिमर: - निटेड
			या बुवेन फैब्रिक, गैर-बुवेन हुए या फिल्ट के साथ संयुक्त
			दीवार या छत के कवरिंग
		57032010	अन्य वस्त्र फ्लोर कवरिंग कार्पेट नायलॉन या अन्य
			पॉलियामाइड के कालीन और कार्पेंटिंग और रग के, यदि
			बने हों या न बने हो; कालीन, गलीचे से ढंकना और

							गलीचे
						57033010	अन्य वस्त्र फ्लोर कवरिंग कार्पेट अन्य मानव निर्मित वस्त्र
							सामग्री कालीन और कार्पेंटिंग और रग के, यदि बने हों
							या न बने हो; कालीन, गलीचे से ढंकना और गलीचे
9.	विशेषता सम्मिश्र:	फाइबर	और	कार्बन फाइबर		68159990	स्टोन या अन्य खनिज पदार्थों के समान (कार्बन फाइबर,
	साम्पत्र.						कार्बन फाइबर के समान और समान)
							पीट), अन्यत्र निर्दिष्ट नहीं या अन्य समान शामिल नहीं
							हैं: अन्य: अन्य
							पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों के समान (कार्बन फाइबर,
							कार्बन फाइबर के समान और पीट के समान सहित),
							अन्यत्र निर्दिष्ट न हो या ग्रेफाइट या अन्य कार्बन के गैर-
						68151090	विद्युत समान शामिल नहीं हैं: अन्य
				अरामिड्स,	मेटा	70191900	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): अन्य (चांदी, यार्न)
				अरामिड्स,	पैरा-		
				अरामिड्स, केवर	लारी		
				नायलॉन 66		54061000	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे के अलावा),
							खुदरा बिक्री के लिए तैयार सिंथेटिक फिलामेंट यार्न
				ग्लास फाइबर, बे	बेसाल्ट	70191100	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): लंबाई 50 मिमी से
				फाइबर			अधिक के चोप्ड स्ट्रेन्डस न हो
						70191200	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): रोविंग्स
						70191900	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): अन्य (चांदी, यार्न)
						70193100	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): ग्लास मैट
						70193200	ग्लास फाइबर (ग्लास वूल सहित): ग्लास पतली शीट्स (वॉयल्स)
						70193900	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): अन्य (बेब्स मैटरस बोर्ड आदि)
						70194000	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): रोविंग के बुने फैब्रिक
						70195100	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित) बुने हुए कपड़े (रोविंग को छोड़कर) एक चौड़ाई के 30 सेमी से अधिक न हो
						70195200	30 सेमी चौड़ाई से अधिक के सादे बुनाई वाले, 250
							ग्राम/वर्गमीटर से कम वजन, प्रति एकल यार्न मापने वाले
							फिलामेंट्स के 136 टेक्स से अधिक नहीं, ग्लास फाइबर
							(ग्लास ऊन सहित) बुने हुए कपड़े (रोविंग्स को छोड़कर)
						70195900	ग्लास के अन्य बुने हुए फैब्रिक
						70199090	ग्लास फाइबर के अन्य निर्मित समान (फाइबर ग्लास
					आण्विक	54061000	मानव निर्मित फिलामेंट यार्न (सिलाई के धागे के अलावा),
				भार पॉलीथीन			खुदरा बिक्री के लिए तैयार सिंथेटिक फिलामेंट यार्न
						70191900	ग्लास फाइबर (ग्लास ऊन सहित): अन्य (जाल गद्दे बोर्ड

	उपरोक्त सभी फाइबर से		आदि)
	बने मिश्रण (i) से (v)		पत्थर या अन्य खनिज पदार्थों के समान (कार्बन फाइबर,
	तक	68151090	कार्बन फाइबर के समान और पीट के समान सहित) पीट),
			अन्य समानों में या अन्यत्र निर्दिष्ट में शामिल नहीं हैं:
			अन्य: अन्य
चिकित्सा, रक्षा और विशे	ष उपयोग के लिए सक्रिय	•	स्मार्ट टेक्सटाइल्स एक नई पीढ़ी का विशिष्ट उत्पाद है।
उपकरणों के साथ एम्बेडे	ड स्मार्ट वस्त्र।		कोई भी स्मार्ट टेक्सटाइल उत्पाद इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ
			एम्बेडेड पहनने योग्य सामग्रियों की किस्मों का एक
			संयोजन होगा। विवरण वर्तमान में किसी विशेष
			एचएसएन कोड में फिट नहीं है। इस उत्पाद के लिए 8-
			अंकों पर एक उपयुक्त एचएसएन कोड नए तरीक से बनाने
			की आवश्यकता है

MINISTRY OF TEXTILES

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2021

SUBJECT: PRODUCTION LINKED INCENTIVE (PLI) SCHEME FOR TEXTILES

F. No. 12015/03/2020-IT.— 1. INTRODUCTION

The Government has approved the Production Linked Incentive (PLI) Scheme for promotion of MMF Apparel, MMF Fabrics and Products of Technical Textiles. The scheme will be implemented from the date of this notification. Incentives under the scheme will be available for 5 years period i.e. during FY 2025-26 to FY 2029-30 on incremental turnover achieved during FY 2024-25 to FY 2028-29 with a budgetary outlay of Rs. 10,683crore. However, if a company is able to achieve the investment and performance targets one year early then, they will become eligible one-year in advance starting from 2024-25 to 2028-29 i.e. for 5 years.

2. OBJECTIVE

The Production Linked Incentive (PLI) Scheme is intended to promote production of MMF Apparel & Fabrics and, Technical Textiles products in the country to enable Textiles Industry to achieve size and scale; to become competitive and a creator of employment opportunities for people.

3. PRODUCTS DETAILS

The scheme proposes to incentivise MMF Apparel listed at **Annexure-I**, MMF Fabrics listed at **Annexure-II** and 10 segments of Technical Textiles products listed at **Annexure-III**. Turnover of MMF Apparel, Fabrics and products of Technical Textiles will be counted based on product description in GST invoice at 8-digit HS Code.

4. SCHEME SEGMENTS AND INCENTIVES

4.1 Scheme Part- 1: Any person, which includes firm / company willing to invest a minimum ₹300 Crore in Plant, Machinery, Equipment and Civil Works (excluding land and administrative building cost) to produce products of Notified lines, shall be eligible to apply for participation in this part of the scheme. However, applicant will form a separate company under Companies Act, 2013, before commencement of investment under this scheme. Such company under the scheme will be eligible to get incentive when they achieve a minimum of ₹600 Crore turnover by manufacturing and selling the products Notified under this scheme. Thus, for getting incentive, both the conditions of minimum investment and minimum turnover should be met. The participating company is expected to achieve this required turnover after a gestation period of two years, i.e. in FY 2024-2025, that will be termed as year 1 and a 15% incentive will be provided on attaining required turnover in the Notified lines of MMF and Technical Textiles. Incentive in the subsequent years will be provided on achieving a minimum

additional incremental turnover of 25% over the immediate preceding year's turnover up to year 5. However, the incentive will be reduced by 1% every year from year 2 onward till the year 5 i.e. 11% in the year 5. Only such sales will be counted, which are transacted through normal banking channel.

4.2 Scheme Part-2: Any person, which includes firm / company willing to invest a minimum ₹100 Crore in Plant, Machinery, Equipment and Civil Works (excluding land and administrative building cost) to produce products of Notified lines, shall be eligible to apply for participation in this part of the scheme. However, the applicant will form a company registered under Companies Act, 2013, before commencement of investment. Such company under the scheme will be eligible to get incentive when they achieve a minimum of ₹ 200 Crore turnover by manufacturing and selling the products notified under this scheme. Thus, for getting incentives, both the conditions of minimum investment and minimum turnover should be met. The participating company is expected to achieve this required turnover after a gestation period of two years, i.e. in FY 2024-2025, that will be termed as year 1 and 11% incentive on turnover will be provided on attaining required turnover in the Notified lines of MMF and Technical Textiles. Incentive in the subsequent years will be provided on achieving a minimum additional incremental turnover of 25% over the immediate preceding year's turnover up to year 5. However, the incentive will be reduced by 1% every year from year 2 onward till the year 5 i.e. 7% in the year 5. Only such sales will be counted, which are transacted through normal banking channel.

5. Common Conditions for both parts of Scheme:

- (a) Notified products removed from the factory under GST Invoice shall only be taken into account for calculation of incremental turnover provided remittances against such trade are realised/received through normal banking channel;
- (b) There will be a provision of cap of 10% over the prescribed minimum incremental turnover growth of 25% for the purpose of calculation of incentives from Year 2 onward. Turnover achieved beyond that cap will not be taken into account for calculation of incentive. However, for Year 1 this cap of 10% will be applied over a turnover of two times of investment made under the scheme. Turnover achieved beyond two times of the investment + 10% shall not be accounted for calculation of incentives in Year 1;
- (c) Only manufacturing company registered in India will be eligible to participate under the scheme. Participating company will have to undertake processing and operation activities in their own factory premises as prescribed in the scheme guidelines. Only project proposals envisaging processing and operation activities able to enhance value by not less than 60% in integrated fibre/yarn to fabric, garment & technical textiles will be selected. However, for proposal of independent fabrics processing house, this required minimum value enhancement will be only 30%;
- (d) Turnover achieved from trading and outsourced job work will not be accounted. The goods which is manufactured by the company registered under the scheme shall only be eligible for the incentives. In other words, goods manufactured by other manufacturer or unit of same group company shall not be accounted for calculation of incremental turnover;
- (e) Selection of participating company will be done following a complete transparent process based on objective criteria e.g. relevant experience, financial & technical capacity, size of investment proposed, expected job opportunities creation potential, location of the manufacturing unit etc. The selected applicant (Participant Company) under the scheme will have to maintain separate accounts and balance sheet along with inventory of inputs and sales data of production under the Scheme;
- (f) Only one company of a group will be allowed to be registered for PLI for Textiles and none of their other group companies will be eligible for participation in this scheme as a second participant. However, the group may make more than one (1) application for consideration but they will have to take a decision at the time of selection regarding the proposal they want to take forward in case more than one (1) of their proposals are shortlisted on the basis of transparent selection process;
- (g) This Scheme does not preclude beneficiary for duty remission/duty exemption/duty neutralization provided by Government of India or for making application for State Government schemes;

- (h) This scheme shall not be a permanent feature for the industry. The scheme is to support creation of a viable enterprise and competitive industry. So, only competent, sustainable industry players are to be supported through the scheme;
- (i) The total fund outgo and duration of the scheme is fixed. In case of availability of funds, entry of new entrant in the scheme period will be allowed till 2022-23. In such cases, investment should be completed by FY 2023-24 and production must be started in FY 2024-2025 for receiving incentive for 5 years' duration. In case the prescribed conditions are not met in time, the incentive will be available for a lesser number of years but rate of incentive will be applicable as prescribed to first year of the scheme and so on for remaining period;
- (j) In case any participant company fails to achieve the required turnover target in any of the years during scheme period, they will not get any incentive under this scheme for that year. However, incentive will be provided on achieving the prescribed target in subsequent years but within the scheme period. Such participants will get assistance for reduced number of years and at rates as explained in para(i) above.

6. SCHEME DURATION:

The scheme shall be valid upto 2029-30. The gestation period for both parts of the scheme will be of two (2) years i.e. FY: 2022-23 to FY: 2023-24.

7. FRAMEWORK OF THE SCHEME IMPLEMENTATION:

Year	Gestation Period	Performance year	Incentives claim year
*	FY 2022-2023		
*	FY 2023-2024		
1		FY 2024-2025	FY 2025-2026
2		FY 2025-2026	FY 2026-2027
3		FY 2026-2027	FY 2027-2028
4		FY 2027-2028	FY 2028-2029
5		FY 2028-2029	FY 2029-2030

Scheme Part-1 & Part - 2

8. SCHEME GUIDELINES

Detailed operational guidelines for inviting application, selection of eligible participants, effective monitoring of the scheme, releasing of incentives, and appropriate grievance redressal mechanism etc. will be finalised and notified after inter-ministerial consultations.

9. REVIEW AND MONITORING OF THE SCHEME

Empowered Group of Secretaries (EGoS), as constituted vide gazette Notification No. P 36017/144/2020-Investment & Promotion dated 10.06.2020 issued by DPIIT will monitor the implementation of the scheme. The composition of the EGoS for monitoring of PLI for Textiles will be as under:

- 1. Cabinet Secretary, Chairperson
- 2. CEO, NITI Aayog, Member
- 3. Secretary, Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Member Convenor
- 4. Secretary, Department of Commerce, Member
- 5. Secretary, Department of Revenue, Member
- 6. Secretary, Department of Economic Affairs, Member
- 7. Secretary, Ministry of Textiles

The EGoS chaired by the Cabinet Secretary will monitor the progress of this PLI scheme; undertake periodic review of the outgo under the Scheme; ensure uniformity with other PLIs and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. EGoS is also empowered to make any changes in the modalities of the scheme, and address any issues related to genuine hardship that may arise during the course of implementation, within the overall financial outlay of ₹10683 crore.

10. **Effect:** This notification shall come into force from the date of issuance. Investment made in anticipation after this Notification may be taken into account to meet investment criteria, in case that investor company is selected under the scheme.

VIJOY KUMAR SINGH, Addl. Secy.

Annexure-I

			List of I	MMF Apparels			
	Products will be primarily identified at 8 digits HS code						
Sl No.	_	Product description	8 digit HS code	Product description			
1		Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, of man-made fibres, knitted	61103010	JERSEYS ETC OF SYN FIBRES			
			61103020	JERSEYS ETC OF ARTIFICIAL FIBRES			
2		Men's or boys' anoraks, windcheaters, wind jackets and similar articles, of man-made fibres		OTHER SMLR ARTCLS OF MAN-MDE FBRS			
3		Women's or girls' anoraks, windcheaters, wind jackets and similar articles, of man-made fibres		WIND AND SKI-JACKETS, WIND CHEATERS			
4	020010	Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres (excluding	62034300	TROUSERS,BIB AND BRACE,OVERALLS,BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRS,MENS OR BOYS			
5		Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres,	61046300	TROUSERS,BIB AND BRACE OVERALLS,BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES			

6	1 1 1	Women's or girls' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres	62046300	TROUSERS,BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS OF SYNTHETIC FIBRES
7	0	Women's or girls' overcoats, raincoats, car coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made	62021300	OVERCOATS,RAINCOATS,CARCOATS,CAPES,CLOAKS AND SIMILAR ARTICLES OF MAN MADE FIBRES
8	1 1	Women's or girls' dresses of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding petticoats)	61044300	DRESSES OF SYNTHETIC FIBRES
9] S 1	Full-length or knee- length stockings, socks and other hosiery, incl. footwear without applied	61159600	OTHER HOSIERY GOODS OF SYNTHETIC FIBRES
10	j s	Women's or girls' jackets and blazers of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted,	62043300	JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES
11]]	Men's or boys' trousers, bib and brace overalls, breeches and shorts of synthetic fibres, knitted	61034300	TROUSERS,SHORTS ETC OF SYNTHETIC FIBRES
12	5	Women's or girls' swimwear of synthetic fibres, knitted or crocheted	61124100	WOMENS/GIRLS SWIMWEAR OF SYNTHTC FBRS
13] (Special garments for professional, sporting or other purposes, n.e.s., of man-made fibres,	61143010	OTHER GARMENTS OF SYNTHETIC FIBRES
			61143020	OTHR GARMENTS OF ARTIFICIAL FIBRES
14] 1	Women's or girls' briefs and panties of man-made fibres, knitted or crocheted	61082210	BRIEFS AND PANTIES OF SYN FIBRES
			61082220	BRIEFS AND PANTIES OF ARTIFICIAL FIBRES
15	á 5	Men's or boys' jackets and blazers of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted, and	62033300	JACKTS AND BLAZERS OF SYNTHETIC FIBRES

16	621133	tracksuits and other garments, n.e.s. of man-made fibres (excluding knitted Men's or boys' overcoats, raincoats,	62113300	OTHR GRMNTS OF MAN-MDE FBRS FR MENS/BOYS RAINCOATS OF MAN-MADE FIBRES
		car coats, capes, cloaks and similar articles, of man-made 		
18	620453	Women's or girls' skirts and divided skirts of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted 	62045300	SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHETIC FIBRS
19	610230	Women's or girls' overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters,	61023010	OVRCOAT ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61023020	OVRCOT ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
20	620530	Men's or boys' shirts of man-made fibres (excluding knitted or crocheted, nightshirts, singlets	62053000	MENS OR BOYS SHIRTS OF MAN-MADE FIBRES
21	610832	Women's or girls' nightdresses and pyjamas of man- made fibres, knitted or crocheted (excluding	61083210	NIGHTDRESSES AND PYJAMAS OF SYN FIBRES
			61083220	NIGHTDRESSES AND PYAJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES
22	610620	Women's or girls' blouses, shirts and shirt-blouses of man- made fibres, knitted or crocheted	61062010	BLOUSE ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61062020	BLOUSE ETC OF REGNRTD FBRS(RAYON ETC)
23	610444	Women's or girls' dresses of artificial fibres, knitted or crocheted (excluding petticoats)	61044400	DRESSES OF ARTIFICIAL FIBRES

24		Women's or girls' jackets and blazers of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding	61043300	JACKETS OF SYNTHETIC FIBRES
25	621430	Shawls, scarves, mufflers, mantillas, veils and similar articles of synthetic fibres (excluding	62143000	SHWLS,SCRVS,MUFFLERS ETC OF SYNTHTC FBRS
26	610892	Women's or girls' négligés, bathrobes, dressing gowns, house jackets and similar articles of	61089210	NEGLIGES ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61089220	NEGLIGES, BATHROBES ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
27	611521	Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn <	61152100	PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHTC FIBRES MSRNG PER SINGLE YRN LESS THN 67 DECITEX
28	610130	Overcoats, car coats, capes, cloaks, anoraks, incl. ski jackets, windcheaters, wind-jackets	61013010	OVRCOAT ETC OF SYNTHETIC FIBRES
			61013020	OVRCOT ETC OF ARTIFICIAL FIBRES
29	610712	Men's or boys' underpants and briefs of man-made fibres, knitted or crocheted	61071210	UNDERPANTS AND BRIEFS OF SYN FIBRES
			61071220	UNDERPANTS AND BRIEFS OF ARTIFICIAL FIBRES
30	611693	Gloves, mittens and mitts, of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding impregnated,	61169300	OTHER GLOVES ETC OF SYNTHETIC FIBRES
31	610453	Women's or girls' skirts and divided skirts of synthetic fibres, knitted or crocheted (excluding 	61045300	SKIRTS AND DIVIDED SKIRTS OF SYNTHTC FIBRES
32	621111	Men's or boys' swimwear (excluding knitted or crocheted)	62111100	SWIMWEAR FOR MENS OR BOYS

33	620312	Men's or boys' suits of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted, tracksuits, ski suits	62031200	SUITS OF SYNTHETIC FIBRES
34	611212	Track-suits of synthetic fibres, knitted or crocheted	61121200	TRACK SUITS OF SYNTHETIC FIBRES
35	620930	Babies' garments and clothing accessories of synthetic fibres (excluding knitted or crocheted	62093000	BABIES GRMNTS AND CLOTHNG ACCESS OF SYN FIBR
36		Women's or girls' singlets and other vests, briefs, panties, négligés, bathrobes, dressing	62089210	DRESSING GOWNS AND BATHROBES
37		Pantyhose and tights of synthetic fibres, knitted or crocheted, measuring per single yarn >=	61152200	PANTY HOSE AND TIGHTS OF SYNTHETIC FIBRES MSRNG PER SINGLE YRN 67 DECITEX OR MORE
38	610722	Men's or boys' nightshirts and pyjamas of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding	61072210	NIGHTSHIRTS AND PYJAMAS OF SYN FIBRES
			61072220	NIGHTSHIRTS AND PYAJAMAS OF ARTIFICIAL FIBRES
39		Men's or boys' swimwear of synthetic fibres, knitted or crocheted	61123100	MENS/BOYS SWIMWEAR OF SYNTHTC FBRS
40		Women's or girls' swimwear (excluding knitted or crocheted)	62111200	SWIMWEAR FOR WOMENS OR GIRLS

Annexure-II

	List of MMF Fabrics Products will be primarily identified at 8 digit HS Code						
Sl	6 digit	Product Description	8 digit HS	Product description			
No.	HS code		Code				
1		Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester filaments, incl. monofilament		POLYESTER SHIRTINGS			
			54075220	POLYESTER SIUTINGS			

2	600632	Dyed fabrics, knitted or crocheted, of synthetic fibres, of a width of > 30 cm (excluding warp	60063200 OTHR KNITD OR CROCHETD FBRCS OF SYN FIBRS, DYED
3	540761	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of non-textured polyester filaments, incl	54076110 POLYESTER SHIRTINGS
			54076120 POLYESTER SUITINGS
4	600192	Pile fabrics of man-made fibres, knitted or crocheted (excluding "long pile" fabrics)	60019200 OTHER PILE FABRICS OF MAN- MADE FIBRES
5	540754	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of textured polyester filaments, incl. monofilament	54075420 POLYESTER SHIRTING
6	580632	Narrow woven fabrics of man-made fibres, with a width of <= 30 cm, n.e.s.	58063200 OTHER NARROW WOVEN FBRCS OF MAN-MADE FIBRE
7	551511	Woven fabrics containing predominantly, but < 85% polyester staple fibres by weight, mixed	55151110FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,UNBLCHD
			55151120 FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,BLCHD
			55151130 FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,DYED
			55151140FBRC OF POLSTR,MXD WTH VISCOS RYON,PRINTD
8	600537	Dyed warp knit fabrics of synthetic fibres "incl. those made on galloon knitting machines",	60053700 OTHER, DYED
9	551614	Woven fabrics containing >= 85% artificial staple fibres by weight, printed	55161410 SPUN RAYON PRINTED SHANTUNG
			55161420 SPUN RAYON PRINTED LINEN
10	540742	Woven fabrics of filament yarn containing >= 85% nylon or other polyamides by weight, incl	54074210 NYLON BRASSO
			54074220 NYLON GEORGETTE
			54074230 NYLON TAFETTA
11	551219	Woven fabrics containing >= 85% polyester staple fibres by weight, dyed, made of yarn of different	55121910 OTHR WOVN FBRCS, DYED CNTNG POLYETR >= 85%
-			

			55121920	OTHR WOVN FBRCS,PRINTD CNTNG POLYETR> =85%
12	540710	Woven fabrics of high-tenacity yarn, nylon, other polyamides or polyesters, incl. monofilament	54071013	UNBLECHD NYLON FURNISHG FBRCS
			54071015	UNBLECHD OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071016	UNBLECHD POLYESTER SUITINGS
			54071019	UNBLECHD OTHR POLYESTER FABRICS
			54071023	BLECHD NYLON FURNISHN FBRCS
			54071025	BLECHD OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071026	BLECHD POLYESTER SUITNGS
			54071033	DYED NYLON FURNISHG FBRCS
			54071035	DYED OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071036	DYED POLYESTER SUITNGS
			54071043	PRINTED NYLON FURNISNG FBRCS
			54071045	PRINTED OTHR NYLON/POLYAMIDE FBRCS (FILAMENT)
			54071046	PRINTED POLYESTER SUITNGS
			54071049	PRINTED OTHR POLYESTER FBRCS
			54071093	OTHR NYLON FURNISNS FBRCS
			54071096	OTHR POLYESTER SUITNGS
			54071099	OTHR POLYESTER FBRCS NES
13	540720	Woven fabrics of strip or the like, of synthetic filament, incl. monofilament of >= 67 decitex	54072010	UNBLECHD WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
			54072020	BLECHD WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE

		DYED WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
		 PRINTED WVEN FBRCS FROM STRIP/THE LIKE
14	Woven fabrics of yarn containing >= 85% by weight of mixtures of textured and non-textured	WOVN FBRCS CONTNNG 85% OR MORE BY WT OF OTHR THN NN- TXTRD POLYSTR FLMNTS

Annexure-III

List of Technical Textiles Products

(HS Code mentioned are indicative)

(Final products list with 8 digit HS code level will be Notified along with Scheme Guidelines)

~		list with 8 digit HS code level will		·
S.No	Segments	Products	Indicative HSN Code	Description
1	Geo-textiles	Geo-grids	56039400	Non-woven -OTHER : weighing more than 150 g/m ²
		Geo-nets	54079110	Other Woven fabrics : unbleached or bleached : unbleached
			54077110	Other Woven fabrics, containing 85% or more by weight of synthetic filaments : unbleached or bleached : unbleached
		Geo-membranes	54071099	Woven Fabrics obtained from high tenacity yarn of nylon or other polyamides or of polyesters : other :other
			54071019	Unbleached other polyester fabrics
		Geo-tubes/Geo-bags	63059000	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods of other textile materials
			39174000	Fittings for tube pipes and hoses of plastic
		Geo-textiles made from natural fibres	53110015	Woven fabrics of other vegetable textile fibres; Woven fabrics of paper yarn: Of coir including log form and geotextiles
2	Agro- textiles	Shade-nets	60059000	Warp knit fabrics (including those made on galloon knitting machines), other
			94060011	Green house- in ready to assemble sets
		Mulch-mats	56031200	Nonwovens, whether or not impregnated, coated, covered or

				laminated weighing between 25G/SQM and 70 G/SQM - man- made filament WGHNG>25g /sqm
		Anti-hail/Anti-bird/Anti-fog protection nets	60059000	warp knitted fabrics of wool or fine animal hair
		Fishing nets	56075010	Nylon Fish Net Twine
		Crop covers	56031100	Coated, covered or laminated non- woven made from manmade filament with weight less than 25 g/ sqm
		Turf protection nets	56031300	Coated, covered or laminated non- woven made from manmade filament with weight between 70 to 150 G/ SQM
3	Medical/ Hygiene Textiles	Body Diapers, Adult Diapers, Incontinence Diapers, Sanitary	96190010	Sanitary towels (pads) or sanitary napkins
		Napkins	96190020	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material: Tampons
			96190030	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material: Napkins and Napkin liners for babies
			96190040	Clinical Diapers
			96190090	Sanitary towels (pads) and tampons, napkins and napkin liners for babies and similar articles, of any material: Other
		Surgical Dressings, Bandages, wound care products	59061000	Adhesive Tape Of A Width Not Exceeding 20 cm.
			30051010	Adhesive Gauze Bandage
			30051020	Adhesive Tape (Medicinal)
			30059040	Bandages Without Adhesive Layer
			30059050	Burn Therapy Dressing Soaked In Protective Gel
			56012200	Wadding; Other Articles Of Cotton Wadding: Other (Of man- made fibres)
			56012900	Wadding Of Textile Materials And Articles Thereof; Textile Fibres, Not Exceeding 5 Mm In

				Length (Flock), Textile Dust And Mill Neps: Wadding Of Man- Made Fibres (other)
		Compression stockings for varicose veins	61151000	Panty hose, tights, stockings, socks and other hosiery, including graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins) and footwear without applied soles, knitted or crocheted : Graduated compression hosiery (for example, stockings for varicose veins)
		Surgical Sutures	30061010	Sterile, surgical catgut and similar sterile suture materials(including sterile absorbable surgical or dental yarns) and sterile tissue adhesives for surgical would closure
4	Defence Textile	Bullet Proof Jackets, Vests and Uniforms	62104010	Garments, Made Up Of Fabrics Of Heading 5602, 5603, 5903, 5906 Or 5907 - Other Mens Or Boys Garments: Bullet Proof jacket, Bomb Disposal Jacket And
		Nuclear, Biological and Chemical Warfare Suits		The Like
		High visibility clothing and Infra- red clothing for military use		
		High Altitude clothing	62102010 62102020	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other garments, of the type described in subheadings 6201 11 to 6201 19 : outer garments, of rubberised textile fabrics
		Fighter Aircraft Clothing	62103010	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other garments, of the type described in subheadings 6201 11 to 6201 19: outer garments, of fabrics impregnated, coated, covered or laminated with preparations of cellulose derivatives and other artificial plastic materials
		Sub-marine clothing	62104090	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other garments, of the type described in subheadings 6202 11 to 6202 19 : outer garments, of fabrics impregnated, coated, covered or laminated with preparations of cellulose

				derivatives and other artificial plastic materials Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other mens or boys
				garments : other
		Tents, Parachutes, collapsible textiles housing for military use	63062200	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods tents: of synthetic fibres
		Special masks including Gas masks	90200000	Other Breathing Appliances And Gas Masks, Excluding Protective Masks Having Neither Mechanical Parts Nor Replaceable Filters
		Helmets and safety equipment (textile compared) for military use	65061010	Other Headgear, Whether Or Not Lined Or Trimmed Safety Headgear: Speed Glass Welding Helmets Or Other Helmets
5	Mobile Textiles:	Safety airbags for automobiles	87089500	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705 - other parts and accessoriessafety airbags
				with inflater system; parts thereof
		Automobile Tyre cords	56041000	Rubber Thread And Cord, Textile Covered
			56075020	Nylon Tyre Cord
			56075030	Viscose Tyre Cord
			59021010	Tyre Cord Fabric Of High Tenacity Yarn Of Nylon Or Other Polyamides: Impregnated With Rubber
			59021090	Tyre cord fabric Of nylon or other polyamides: Others
			59022010	Tyre Cord Fabric Of Polyester: Impregnated With Rubber
			59022090	Tyre cord fabric Of polyesters: Others
			59029010	Tyre Cord Fabric Of Others: Impregnated With Rubber
			59029090	Tyre cord fabric of high tenacity yarn of nylon or other polyamides, polysters or viscose rayon: Others
		Seat webbing for automobiles and aircrafts	87082100	Parts and accessories of the motor vehicles of headings 8701 to 8705: Other parts and accessories of bodies (including cabs): Safety seat belts

		Air and oil filters for automobiles, railways coach, aircraft	84212300	Centrifuges, Including Centrifugal Dryers; Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus, For Liquids Or Gases Filtering Or Purifying Machinery And Apparatus For Liquids: Oil Or Petrol-Filters For Internal Combustion Engines
		Parachute fabrics/Ballooning fabric	54071011	Unbleached Parachute Fabrics
		for sports use	54071021	Bleached Parachute Fabrics
			54071031	Dyed Parachute Fabrics
			54071041	Printed Parachute Fabrics
			54071091	Other Parachute Fabrics
		Sailing cloth	63061990	Other Tarpaulins, Awnings And Sunblinds; Tents; Sails For Boats, Sailboards Or Landcraft; Camping Goods
6	Sports Textiles	Protective equipment for cricket, boxing and other sports (Leg guard, Batting gloves, Thigh pad)	95069110	Articles And Equipment For General Physical Exercise, Gymnastics Or Athletics: Boxing Equipment
			95069920	Articles And Equipment For General Physical Exercise, Gymnastics, Athletics, Other Sports:Other: Leg Pads And Bats For Cricket
			95069990	Articles and equipment for general physical exercise, gymnastics, athletics, other sports (including tabletennis) or
				Out-door games, not specified or included elsewhere in this chapter; swimming pools and paddling pools - other : -other : other
7	Protective Textiles (other than defence textiles):	Personal Protective Equipment for medical use	62102010	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other garments, of the type described in
				subheadings 6201 11 to 6201 19 : outer garments, of rubberised textile fabrics
		Fire retardant/Fire protection clothing	62105000	Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 other womens or girls garments
		Chemical/Petrochemical protection clothing Electric Arc protection clothing		Garments, made up of fabrics of heading 5602, 5603, 5903, 5906 or 5907 - other garments, of the
		Fire retardant fabrics	62103010	type described in subheadings 6202 11 to 6202 19 : outer garments, of fabrics impregnated, coated, covered or

				laminated with
				preparations of cellulose derivatives and other artificial plastic materials
		Industrial gloves, Industrial protection clothing including high visibility clothing for non-military use	61161000	Gloves, Mittens And Mitts, Knitted Or Crocheted Impregnated, Coated Or Covered With Plastics Or Rubber
		N-95 and N-99 Masks (FFP-2 and FFP-3 masks), Gas Masks	90200000	Other Breathing Appliances And Gas Masks, Excluding Protective Masks Having Neither Mechanical Parts Nor Replaceable Filters
8	Building/ Construction Textiles:	Architectural Membranes	39219099	Other plates, sheets, film, foil and strip, of plastics - other : other : other
		Wall coverings	59050090	Textile Wall Coverings: Other
			59050010	Textile Wall Coverings: Fixed On The Backing Of Any Material
		Awnings & canopy	63061200	Tarpaulins, Awnings and Sunblinds etc.: Of Synthetic Fibres
			63061920	Tarpaulins, awnings and sunblinds; tents; sails for boats, sailboards or landcraft; camping goods tarpaulins,
				awnings and sunblinds: of other textile materials: blinds or awnings of coir
		Floor Coverings for special purposes such as fire retardant, fire resistant, chemical resistant, antistatic and dust resistant / and composite Board for train coaches.	39181010	FLOOR COVERINGS OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR IN THE FORM OF TILES; WALL OR CEILING COVERINGS OF PLASTICS, AS DEFINED IN NOTE 9 TO THIS CHAPTER-Of polymers of vinyl chloride: Wall or ceiling coverings combined with - knitted or woven fabrics, nonwovens or felt
			39189020	FLOOR COVERINGS OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-ADHESIVE, IN ROLLS OR IN THE FORM OF TILES; WALL OR CEILING COVERINGS OF PLASTICS, AS DEFINED IN NOTE 9 TO THIS CHAPTER-Of other plastics: Wall or ceiling coverings combined with - knitted or woven fabrics, nonwovens or felt

	•			
			57032010	CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, WHETHER OR NOT MADE UP, Of nylon or other polyamides; Carpets, carpeting and rugs
			57033010	CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED, WHETHER OR NOT MADE UP, Of other man-made textile materials Carpets, carpeting and rugs
9	Specialty Fibres & Composites:	Carbon Fibre	68159990	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of
				peat), not elsewhere specified or included other articles: other: other
				Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of peat), not
			68151090	elsewhere specified or included non-electrical articles of graphite or other carbon: other
		Aramids, Meta Aramids, Para- Aramids, Kevlar	70191900	Glass Fibres (Including Glass Wool): Other (Silvers, Yarn)
		Nylon 66	54061000	Man-Made Filament Yarn (Other Than Sewing Thread), Put Up For Retail Sale Synthetic Filament Yarn
		Glass Fibres, Basalt Fibres	70191100	Glass Fibres (Including Glass Wool): Chopped Strands Of A Length Not More Than 50 mm
			70191200	Glass Fibres (Including Glass Wool): Rovings
			70191900	Glass Fibres (Including Glass Wool): Other (Silvers, Yarn)
			70193100	Glass Fibres (Including Glass Wool): Glass Mats
			70193200	Glass Fibres (Including Glass Wool): Glass Thin Sheets (Voils)
			70193900	Glass Fibres (Including Glass Wool): Other (Webs Mattresses Boards etc)
			70194000	Glass Fibres (Including Glass Wool): Woven Fabrics Of Rovings

			70195100	Glass Fibres (Including Glass Wool) Woven Fabrics (Excluding Rovings) Of a Wdth Not More Than 30 Cm
			70195200	Glass Fibres (Including Glass Wool) Woven Fabrics (Excluding Rovings) Of a Width More Than 30 Cm Plain Weave, Weighing Less Than 250 g/sqm, Of Filaments Measuring Per Single Yarn Not More Than 136 Tex
			70195900	Other Woven Fabrics of glass
			70199090	Other Made-Up Articles Of Glass Fibres (Fibre Glass
		Ultra High Molecular Weight Polyethylene	54061000	Man-Made Filament Yarn (Other Than Sewing Thread), Put Up For Retail Sale Synthetic Filament Yarn
		Composites made out of all above fibres (i) to (v)	70191900	Glass Fibres (Including Glass Wool): Other (Webs Mattresses Boards etc)
			68151090	Articles of stone or of other mineral substances (including carbon fibres, articles of carbon fibres and articles of
				Peat), not elsewhere specified or included other articles: other: other
10	Smart Textiles em medical, defence a	bedded with active devices for nd special uses.		Smart Textiles is a new generation niche product. Any Smart Textiles product will be a combination of varieties of wearable materials embedded with electronics. The description does not fit into any particular HSN Code at present. A suitable HSN Code at 8-digit need to be created afresh for this product